



मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन सी. आई. ज़ी. मार्ग, नई दिल्ली-2

संख्या: ए-40/12/1/PFRDA/2020-लेखा-4

दिनांक:- 28/5/2021

सेवा में,

1. सभी क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
2. बीमा आयुक्त, प्रशिक्षण अकादमी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
3. सभी निदेशक(प्रभारी)/संयुक्त निदेशक(प्रभारी)/उप निदेशक(प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
4. निदेशक(चिकित्सा)अधीक्षक।
5. सभी चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
6. सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक(वित्त), कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
7. अपर आयुक्त, स्थापना-5, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय/वित्त एवं लेखा शाखा-3, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय।

विषय: Central Civil Services (Implementation of Nation Pension System) Rules,2021.


महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में, स्थापना शाखा-III, मुख्यालय द्वारा जारी ज्ञापन संख्या-A.40/11/1/99-E-III (Vol.III) दिनांक-07/05/2021 (जो मुख्यालय कि वेबसाइट पर दिनांक-07/05/2021 को अपलोड किया गया है) के साथ संलग्न Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Pension and Pensioner's Welfare) द्वारा आप सभी के आवश्यक कार्रवाई हेतू यह परिपत्र जारी किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त विषय के मामलो में Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Pension and Pensioner's Welfare) द्वारा जारी Notification के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,


(आलोक कुमार सिन्हा)
उप निदेशक(वित्त)

प्रतिलिपि:- वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतू।